PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 329
दि. 01.09.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

NEET आंदोलन पर दर्ज FIR से छात्रों को राहत की उम्मीद, केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचा; आज की सुनवाई पर टिकी नजरें

नई दिल्ली। नीट-यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ हुए छात्र आंदोलनों के दौरान दर्ज एफआईआर को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शन में शामिल रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को समाप्त कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र की इस पहल के बाद उन छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है, जो परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में सड़कों पर उतरे थे और आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद मामले दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को केंद्र की ओर से दाखिल अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करेगा। इस सुनवाई पर छात्रों, उनके परिवारों और पूरे मामले से जुड़े पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं, ने केंद्र की तत्काल सुनवाई की मांग पर विचार किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। दिन की कार्यवाही समाप्त होने के करीब जब पीठ उठने वाली थी, उसी दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि केंद्र एक अंतरिम आवेदन दाखिल करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन उन एफआईआर से संबंधित है, जो नीट परीक्षा की कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई थीं।

केंद्र की ओर से संविधान के अनुच्छेद 142 का उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। इसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए केंद्र छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को समाप्त कराने की दिशा में अदालत से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। इस पहल के बाद यह संभावना बनी है कि जिन छात्रों पर गंभीर आपराधिक आरोप नहीं हैं, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर राहत का रास्ता खुल सकता है।

मामले में सुनवाई की तत्काल जरूरत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नीट विवाद से जुड़े आंदोलन का असर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद भी छात्रों और उनके परिवारों की कई मांगें बनी हुई हैं। आंदोलन से जुड़े संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से पहले किए गए कुछ आश्वासन पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर विरोध मार्च का आह्वान किए जाने की बात सामने आई है।

प्रदर्शन से जुड़े संगठन का कहना है कि प्रस्तावित मार्च में उन छात्रों के परिवार भी शामिल होंगे, जिनकी मौत को नीट परीक्षा विवाद और उसके बाद उत्पन्न परिस्थितियों से जोड़कर देखा गया है। इसके अलावा जुलाई में हुए आंदोलनों के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का सामना करने वाले छात्र और अन्य लोग भी मार्च में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में केंद्र की ओर से एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना देता है।

नीट-यूजी परीक्षा को लेकर देशभर में उस समय व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जब परीक्षा में कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप सामने आए।

हजारों छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा में =कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आंदोलन के दौरान दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए और कई जगह पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। दिल्ली में 20 जुलाई को संसद की ओर निकाले गए मार्च के दौरान भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की जानकारी सामने आई थी। प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बाद में इन्हीं मामलों को लेकर छात्रों को राहत देने की मांग तेज हुई। सुप्रीम कोर्ट पहले ही नीट-यूजी से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों के साथ कथित पुलिस ज्यादती सहित विभिन्न आरोपों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर चुका है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी को सौंपी गई थी। समिति का उद्देश्य विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं और छात्रों की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करना था। ऐसे में एफआईआर का मुद्दा भी नीट विवाद के व्यापक कानूनी और प्रशासनिक संदर्भ का हिस्सा बन गया है।

इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने से जुड़े अपने आदेश में इस्तेमाल किए गए 'आपराधिक इतिहास' शब्द को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस शब्द का इस्तेमाल केवल गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के संदर्भ में किया गया था। अदालत ने यह भी कहा था कि अन्य छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को राज्य सरकारें कानून के अनुसार बंद करने या वापस लेने पर विचार कर सकती हैं।

अदालत के इस स्पष्टीकरण के बाद केंद्र सरकार ने भी संकेत दिया था कि वह उन छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को आगे नहीं बढ़ाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अब केंद्र द्वारा स्वयं सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दाखिल किए जाने से इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, एफआईआर समाप्त करने का अर्थ सभी मामलों को बिना किसी शर्त के खत्म करना होगा या किन-किन छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, यह अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा। गंभीर आपराधिक मामलों और केवल प्रदर्शन में भाग लेने से जुड़े मामलों के बीच अंतर किया जाना महत्वपूर्ण होगा। अदालत इस बात पर भी विचार कर सकती है कि किस प्रकार के मामलों में राहत दी जानी चाहिए और किन मामलों को सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रखा जाना चाहिए।

नीट विवाद ने देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक की विश्वसनीयता और परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर व्यापक बहस छेड़ी थी। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की उम्मीद रखने वाले लाखों छात्रों के लिए नीट परीक्षा उनके भविष्य से जुड़ी होती है। ऐसे में परीक्षा में कथित पेपर लीक या अनियमितता की खबरें सामने आने पर छात्रों में असंतोष और चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। इसी असंतोष ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों का रूप लिया।

छात्र संगठनों का तर्क रहा है कि परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। दूसरी ओर, कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रदर्शन के दौरान यदि किसी व्यक्ति की ओर से कानून का उल्लंघन किया गया है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया लागू हो सकती है। यही अंतर इस पूरे मामले को कानूनी रूप से संवेदनशील बनाता है। केंद्र की याचिका के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल महत्वपूर्ण होगा कि प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर में किन छात्रों को राहत दी जा सकती है और किन मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। यदि अदालत केंद्र की मांग स्वीकार करती है तो बड़ी संख्या में उन छात्रों को राहत मिल सकती है जिनके खिलाफ केवल नीट विवाद के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण मामले दर्ज हुए थे और जिनका कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि केंद्र और प्रदर्शन से जुड़े पक्षों के बीच किसी संभावित समझौते की दिशा में बातचीत की बात अदालत के सामने रखी गई है।

तेजाब की बिक्री पर पूरी तरह रोक या सख्त निगरानी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। तेजाब हमलों की बढ़ती गंभीरता और बाजार में तेजाब की कथित आसान उपलब्धता पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछा है कि क्या तेजाब की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या फिर इसे बेहद कड़े नियमों के दायरे में ही अनुमति दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने साथ ही केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए छह सप्ताह के भीतर उचित पुनर्वास उपाय तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से पीड़ितों के लिए एक मॉडल योजना तैयार करने और राज्यों को उसके प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक सहायता देने पर भी विचार करने को कहा है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश तेजाब हमले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। सुनवाई में अदालत के सामने यह चिंता रखी गई कि वर्ष 2013 में तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कई जगहों पर इसकी उपलब्धता अब भी आसान बनी हुई है। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि पुराने दिशा-निर्देश प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा है कि वह तेजाब की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में क्यों नहीं है या फिर ऐसी बिक्री को किस तरह बेहद कड़े नियमन के तहत रखा जा सकता है। अदालत का यह रुख इस संभावना को सामने लाता है कि आने वाले समय में तेजाब की खुदरा बिक्री को लेकर देशभर में नई और ज्यादा कठोर व्यवस्था तैयार की जा सकती है। अदालत ने इस मामले में केवल नियम बनाने पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को भी महत्वपूर्ण माना है।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह सुझाव भी आया कि यदि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए तेजाब की आवश्यकता है तो उसके व्यावसायिक उपयोग और आम खुदरा बिक्री के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सकता है। ऐसे में औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित व्यवस्था कायम रखते हुए आम उपभोक्ताओं के लिए इसकी उपलब्धता को बेहद सीमित किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने अदालत के समक्ष खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव रखा और बताया कि स्वयंसेवकों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में तेजाब की आसान उपलब्धता की बात सामने आई है।

अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि यदि तेजाब की बिक्री पूरी तरह बंद करना व्यावहारिक नहीं माना जाता है तो उसे खरीदने वाले व्यक्ति से खरीद का उद्देश्य लिखित रूप में लेना, खरीदार का रिकॉर्ड रखना और बाजार में तेजाब के प्रवेश से लेकर बिक्री तक की निगरानी के लिए तकनीकी व्यवस्था विकसित करना जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। अदालत ने ऐसे संभावित उपायों पर चर्चा करते हुए संकेत दिया कि केवल कागज पर नियम बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी निगरानी और अनुपालन प्रभावी तरीके से हो।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केवल तेजाब की बिक्री तक सीमित नहीं रखा। अदालत ने तेजाब हमले के बाद पीड़ितों के सामने आने वाली लंबी और गंभीर चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को पुनर्वास व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है।

एसआईआर के ड्राफ्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल, दिल्ली में 47 लाख नाम गायब तो महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 'अनकलेक्टेबल'

नई दिल्ली/मुंबई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली में सियासी बहस तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को दोनों राज्यों में SIR के तहत पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की, जिसके आंकड़ों ने राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बीच चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में करीब 47 लाख 56 हजार 722 मतदाताओं के नाम पहली ड्राफ्ट सूची में दिखाई नहीं दिए, जबकि महाराष्ट्र में करीब 2.06 करोड़ मतदाताओं को 'अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म' की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंकड़े अभी अंतिम मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बराबर नहीं हैं। संबंधित मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दाखिल करने का अवसर दिया गया है, जिसके बाद पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा सकते हैं। दिल्ली में जारी ड्राफ्ट सूची के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी में कुल करीब 1 करोड़ 45 लाख मतदाताओं में से 47 लाख से अधिक नाम पहली सूची में नहीं दिखाई दिए। इसको लेकर राजनीतिक स्तर पर सवाल उठने लगे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर रहने की वजह क्या है और क्या संबंधित मतदाताओं को दोबारा अपने दस्तावेजों के जरिए पात्रता साबित करनी होगी। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार ड्राफ्ट सूची को अंतिम सूची नहीं माना जाता और जिन लोगों के नाम इसमें नहीं हैं, वे निर्धारित अवधि में दावा दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया करीब दो महीने तक चली। राजधानी के 13 जिलों में मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान मौजूदा मतदाता विवरण की तुलना पुराने रिकॉर्ड से की गई। जिन मतदाताओं की जानकारी वर्ष 2002 की SIR सूची से नहीं

मिल पाई, उनके संबंध में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांगे जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नाम, उम्र, पारिवारिक संबंध अथवा अन्य विवरणों में असामान्य अंतर पाए जाने पर भी संबंधित मतदाता से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

ड्राफ्ट सूची से नाम गायब होने के बाद मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर दावा और आपत्ति दाखिल करने का है। दिल्ली में इसके लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में जिन योग्य मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अपना नाम शामिल कराने का दावा कर सकते हैं। इसी तरह किसी नाम को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद चुनाव अधिकारियों की ओर से प्राप्त दावों और दस्तावेजों की जांच की जाएगी तथा अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। SIR के दौरान दस्तावेजों की आवश्यकता मतदाता की जन्मतिथि और उम्र के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति से जन्मतिथि अथवा जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति के मामले में स्वयं के दस्तावेज के साथ माता या पिता में से किसी एक से संबंधित दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है। जबकि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति के मामले में स्वयं के साथ माता और पिता दोनों से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने की व्यवस्था बताई गई है। आधार कार्ड को लेकर भी स्थिति महत्वपूर्ण है। SIR प्रक्रिया में केवल आधार कार्ड को अकेले पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना गया है। ऐसे में जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों और प्रक्रिया का सहारा लेना होगा। यही वजह है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञ मतदाताओं को सलाह दे रहे हैं कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जांचें और नाम नहीं मिलने की स्थिति में निर्धारित समयसीमा के भीतर दावा दाखिल करें। महाराष्ट्र में भी SIR के आंकड़े काफी बड़े हैं। यहां करीब 2.06 करोड़ मतदाताओं को 'अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी का अर्थ यह नहीं है कि इन सभी मतदाताओं के नाम अंतिम रूप से मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। यह ड्राफ्ट स्तर पर उन मामलों को दर्शाता है जहां मतदाता से संबंधित गणना फॉर्म उपलब्ध नहीं हो सका या सत्यापन की प्रक्रिया में आवश्यक जानकारी एकत्र नहीं हो पाई। अंतिम निर्णय दावों, आपत्तियों और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही होगा। महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आए आंकड़ों ने SIR की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों की ओर से आशंका जताई जा सकती है कि बड़ी संख्या में नामों का ड्राफ्ट सूची में नहीं होना मतदाताओं के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। वहीं चुनाव आयोग की प्रक्रिया का तर्क यह है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना, पात्र मतदाताओं को शामिल रखना और अपात्र या गलत प्रविष्टियों की पहचान करना है।

पंजाब में कर्मचारियों के आंदोलन पर भाजपा का हमला, भगवंत मान सरकार पर लगाया 'दमन' का आरोप; 3 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनभोगियों के समर्थन का दावा

नई दिल्ली। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर सरकारी कर्मचारियों, किसानों और आम जनता के साथ कथित तौर पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि सरकार की कथित वादाखिलाफी के कारण पंजाब में करीब तीन लाख सरकारी और अनुबंध कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और लगभग साढ़े तीन लाख पेंशनभोगी भी उनके समर्थन में खड़े हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने वाले कर्मचारियों और विभिन्न वर्गों के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटनाएं सरकार के रवैये पर सवाल खड़े करती हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में पार्टी की ओर से पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान कर्मचारियों और समाज के विभिन्न वर्गों से कई वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया। उनके अनुसार, कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं, लेकिन समाधान के बजाय उन्हें कथित रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है।

भाटिया ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक और सार्वजनिक मंचों पर प्रमुखता से उठाएगी। उनका आरोप है कि भगवंत मान सरकार लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के अधिकार को कमजोर कर रही है। भाजपा

नेता ने दावा किया कि पंजाब के 23 जिलों में सरकारी और अनुबंध कर्मचारियों की ओर से महा-हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके अनुसार, इस आंदोलन में करीब तीन लाख कर्मचारी शामिल हैं और लगभग साढ़े तीन लाख पेंशनभोगियों का भी समर्थन प्राप्त है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि नियमितीकरण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। उनके अनुसार, आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन लंबे समय बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। भाजपा का आरोप है कि जिन कर्मचारियों को स्थायी रोजगार और सेवा सुरक्षा की उम्मीद थी, वे अभी भी अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। दूसरी बड़ी मांग महंगाई भत्ते से संबंधित बताई गई है। भाटिया के अनुसार, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लंबित है और उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों का कहना है कि वेतन और भत्तों से जुड़े लंबित मामलों का समाधान जल्द होना चाहिए। भाजपा ने इसे कर्मचारियों के असंतोष का प्रमुख कारण बताते हुए पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। पुरानी पेंशन योजना भी कर्मचारियों के आंदोलन का अहम मुद्दा है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसे लेकर स्पष्ट और ठोस व्यवस्था सामने नहीं आई है। कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग की मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे और इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

भाटिया ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करने से प्रशासनिक व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रहने पर सरकारी सेवाओं की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है।

भाजपा ने आरोप लगाया कि केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि शिक्षक, आंगनवाड़ी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और बेरोजगार युवा भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। भाजपा का दावा है कि इनमें से कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई और कुछ मामलों में लाठीचार्ज भी हुआ। पार्टी ने इन घटनाओं को सरकार की कथित दमनकारी मानसिकता का उदाहरण बताया है।

नवरात्रि की रात नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांच दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- ऐसा जघन्य अपराध किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं

वडोदरा। नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व के दौरान एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वडोदरा की विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले को बेहद जघन्य और गंभीर अपराध करार देते हुए प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला 2024 की नवरात्रि की उस रात से जुड़े मामले में आया है, जब 16 वर्षीय नाबालिग अपने बचपन के दोस्त से मिलने के बाद वापस लौट रही थी और रास्ते में आरोपियों ने उसे और उसके दोस्त को रोक लिया था। अदालत ने इससे पहले 20 अगस्त को पांचों आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म, सबूत नष्ट करने और डकैती से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया था। सोमवार को सजा के चरण में सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएम पवार ने सभी पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मामले की गंभीरता एक बार फिर सामने आई और यह स्पष्ट हुआ कि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर कानून बेहद कठोर रुख अपनाता है।

अभियोजन के अनुसार घटना 4 अक्टूबर 2024 की रात की है। उस समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष थी। वह रात करीब 11 बजे लक्स्मीपुरा इलाके में अपने बचपन के दोस्त से मिलने गई थी। इसके बाद दोनों स्कूटी से भायली इलाके की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान सुनसान सड़क पर दोपहिया वाहनों से आए पांच लोगों ने दोनों को रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के दोस्त को रोककर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने यह भी आरोप आया कि वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया और उसे विश्वामित्री नदी में फेंक दिया। पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान मुमताज, अजमल, मुन्ना बंजारा,

सैफ और शाहरुख के रूप में हुई। सभी आरोपियों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई गई है। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने मामले से जुड़े घटनाक्रम और उपलब्ध साक्ष्यों को रखते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की थी। अदालत ने मामले की गंभीरता, पीड़िता की कम उम्र और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

सजा सुनाते हुए अदालत ने महिलाओं और नाबालिगों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि महिला या नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म बेहद गंभीर अपराध है और ऐसे अपराधों को किसी भी स्तर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने विशेष रूप से इस बात को रेखांकित किया कि घटना नवरात्रि के दौरान हुई थी, जब देवी अंबा की आराधना की जाती है और महिलाओं के सम्मान को धार्मिक तथा सामाजिक रूप से विशेष महत्व दिया जाता है। अदालत की टिप्पणी इस मामले के सामाजिक पहलू को भी सामने लाती है। नवरात्रि को देशभर में शक्ति और नारी सम्मान से जुड़े पर्व के रूप में देखा जाता है। ऐसे अवसर पर एक नाबालिग के खिलाफ कथित तौर पर किया गया अपराध समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े करता है। अदालत ने इसी संदर्भ में घटना की गंभीरता को रेखांकित करते हुए दोषियों के प्रति सख्त रुख अपनाया।

यह मामला केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि रात के समय सुनसान इलाकों में महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस गश्त और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई को लेकर भी ऐसे मामले प्रशासन के सामने चुनौती पेश करते हैं।

मामले में पुलिस ने घटना के बाद जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान तथा गिरफ्तारी की दिशा में कार्रवाई की। जांच के दौरान घटना से जुड़े साक्ष्यों को एकत्र किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में इन्हीं साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपों को साबित करने का प्रयास किया। अदालत ने सुनवाई के बाद पांचों आरोपियों को दोषी माना और अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कानून के तहत नाबालिगों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाता है ताकि पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। वडोदरा की विशेष पॉक्सो अदालत का यह फैसला भी इसी कानूनी व्यवस्था के तहत आया है।

अदालत के फैसले से यह संदेश भी गया है कि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर न्यायपालिका गंभीर रुख अपनाती है। अपराध की गंभीरता के अनुसार दोषियों को कठोर सजा मिलना पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। हालांकि, ऐसे मामलों में न्याय केवल सजा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पीड़ित को आवश्यक सुरक्षा, मानसिक सहयोग और पुनर्वास की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है। इस मामले में पांचों दोषियों को सामूहिक दुष्कर्म के साथ सबूत नष्ट करने और डकैती से जुड़े आरोपों में भी दोषी ठहराया गया था। इससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। अभियोजन के अनुसार वारदात के बाद मोबाइल फोन को नदी में फेंकने का आरोप भी सामने आया था। अदालत ने उपलब्ध सामग्री और अभियोजन के पक्ष को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई।

नवरात्रि की रात हुई इस घटना ने उस समय भी चिंता पैदा की थी और अब अदालत के फैसले के बाद मामला फिर चर्चा में है। त्योहारों के दौरान शहरों में बड़ी संख्या में लोग देर रात तक घरों से बाहर रहते हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों के साथ-साथ सुनसान मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखना आवश्यक हो जाता है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। समाज के स्तर पर भी जागरूकता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना समय पर पुलिस तक पहुंचाना, पीड़ित की मदद करना और अपराध के खिलाफ आवाज उठाना सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मामले में अदालत की ओर से दी गई उम्रकैद की सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप कड़ा न्यायिक संदेश देती है। खासकर तब, जब पीड़िता नाबालिग हो और घटना सामूहिक यौन हिंसा से जुड़ी हो। अदालत ने अपने फैसले में महिलाओं और नाबालिगों की गरिमा और सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों को सामान्य अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता। फैसले के बाद अब यह मामला उन मामलों में शामिल हो गया है जिनमें पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के खिलाफ गंभीर अपराध में दोष सिद्ध होने के बाद कठोर सजा सुनाई है। पांचों दोषियों पर लगाया गया जुर्माना भी अदालत के फैसले का हिस्सा है।

संपादकीय

प्लेटफ़ॉर्म सुनिश्चित करें सुरक्षा जवाबदेही

भारत में लंबे समय से अभिभावक, शोध निष्कर्ष और मीडिया बता रहा था कि बच्चों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का घातक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हमारे नीति-नियंता इस तरह के मामलों में तब ध्यान देते हैं जब इस बाबत निष्कर्ष पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका से आएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम से बच्चों को हुए नुकसान को लेकर पिछले दिनों अमेरिका की अदालतों में वाद दायर किए गए। इस बाबत किए गए दावों के बाद मेटा को 18 अरब डॉलर तक भुगतान करने का फैसला अदालतों ने दिया। इस जुर्माने से इस बात को भी मान्यता मिली है कि नुकसान सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल के तरीके से ही नहीं होता, बल्कि उसके डिजाइन से भी हो सकता है। आरोप लगे थे कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चों को इसकी लत लग जाती है। दरअसल, यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि किस तरह बच्चों को उपभोक्ता में तब्दील किया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि माता-पिता स्क्रीन टाइम को तो सीमित कर सकते हैं, लेकिन वे उन एल्गोरिदम को नहीं देख सकते हैं, जो यह तय करते हैं कि उन घंटों के दौरान बच्चा क्या देखता है। दरअसल, इन प्लेटफॉर्म द्वारा बड़ी ही चालकी से इनफिनेट स्क्रॉलिंग, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, नोटिफिकेशन, लाइक्स और दूसरे एंगेजमेंट टूल इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे बच्चों का बार-बार ध्यान खींचें और उन्हें छोटी स्क्रीन पर वापस लाएं।

दरअसल, अभिभावकों ने अमेरिकी अदालत में कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि बच्चे अधिक समय तक ऑनलाइन रहते हैं, बल्कि यह है कि प्लेटफॉर्म को बच्चों को लत लगाने के लिये डिजाइन किया गया है। मेटा ने कुछ सुरक्षा उपायों को लेकर प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें रोजाना की सीमाएं, रात के समय की पाबंदियां तथा लगातार बढ़ावा देने वाले फीचर्स में बदलाव शामिल है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का विज्ञापन आधारित बिजनेस मॉडल काफी हद तक वैसा ही बना रहेगा। इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ी है कि जब तक कंपनी का व्यावसायिक मॉडल नहीं बदलेगा, सकारात्मक नतीजों की उम्मीद बेमानी होगी। अमेरिका में अभिभावकों की जीत के बाद भारत को सबक लेते हुए जल्दबाजी में इस पर पूरी तरह बैन लगाने से बचना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अभिभावकों की भी न हो। इसके लिये जो डिजिटल नियम बनें, उनमें प्लेटफॉर्म्स को प्रोडक्ट डिजाइन से होने वाले संभावित नुकसान हेतु जवाबदेह बनाना चाहिए। साथ ही बच्चों को लक्षित करने वाले व्यवहार संबंधी विज्ञापनों पर सख्त रोक लगानी चाहिए। बच्चों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले रिकमेंडेशन सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट हो। वहीं उम्र की पुष्टि करने वाले सिस्टम को बच्चों की निजी जानकारी का ऐसा डेटाबेस नहीं बनाना चाहिए, जो उनकी निजता में हस्तक्षेप कर सके। फोन में सेप्टी सेटिंग्स हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए, ताकि मां-बाप को माथापच्ची करके उसे ढूंढ कर चालू न करना पड़े। निस्संदेह, जिन प्लेटफॉर्म्स के पास बच्चों को लत लगाने की तकनीक है, उनके पास ही नुकसान को कम करने की तकनीक भी है। अतः जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की हो।

प्रगतिशील सोच और जागरूकता से ही समाधान

> वास्तविक आधुनिकता तभी संभव है, जब समाज महिलाओं को वस्तु या लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाली स्वतंत्र नागरिक और नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में स्वीकार करे। सवाल यही है कि भौतिकवाद की चकाचौंध के बीच ये घृणित रूढ़ियां आखिर कब टूटेंगी?

भारत को प्रगतिशील, आधुनिक और विश्व के अग्रणी देशों में गिनते हुए हम नहीं थकते। देश की प्राचीन सांस्कृतिक गरिमा हमें गर्व का अनुभव कराती है, लेकिन मध्यकाल से लेकर आज तक चली आ रही अनेक जर्जर रूढ़ियां और परंपराएं हमें शर्मिंदा भी करती हैं। दास प्रथा भले ही समाप्त हो चुकी हो, पर छुआछूत, दहेज, बाल विवाह, शादी-ब्याह में फिजूलखर्ची और सामाजिक आडंबर जैसी कुरीतियां किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद हैं।

शादियों में बढ़-चढ़कर खर्च करना और दिखावे के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदर्शित करना एक प्रकार का कारोबार बन चुका है। डेस्टिनेशन वेडिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग भी चाहता है कि ऐसी शादियां भारत के सुंदर स्थलों पर हों, ताकि देश का धन देश में रहे, किंतु धनी वर्ग विदेशी स्थलों की ओर आकर्षित होता है। इससे अनावश्यक विदेशी खर्च बढ़ता है। जनजागरण के तमाम प्रयासों के बावजूद पुरानी रूढ़ियां नए रूपों में बार-बार सामने आ जाती हैं।वर्षों से सामाजिक और कानूनी अभियानों के बावजूद देश में बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। यह माना जाता है कि आज लड़कियों को शिक्षा, प्रतियोगिताओं और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तथा वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। फिर भी कुछ राज्यों में बाल विवाह जारी हैं। कहीं न कहीं सामाजिक दबाव इसके लिए जिम्मेदार है।

महिला बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 27 अगस्त 2026 तक देश में बाल विवाह से जुड़े 3,863 मामले सामने आए। प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से 3,405 बाल विवाह रोके गए, जबकि पुलिस शिकायतों, बाल कल्याण समितियों की रिपोर्टों और विवाह निरस्तीकरण से जुड़े मामलों को मिलाकर 458 मामले दर्ज हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या समाप्त नहीं हुई है और सामाजिक जागरूकता के दावे पूरी तरह वास्तविकता से मेल नहीं खाते।

बाल विवाह रोकने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां 703 विवाह रोके गए। इसके बाद झारखंड में 534, हरियाणा में 531, त्रिपुरा में 353 और आंध्र प्रदेश में 326 बाल विवाह रोके गए। दूसरी ओर, बाल विवाह संबंधी आपराधिक मामलों में महाराष्ट्र में 154, राजस्थान में 152, पश्चिम बंगाल में 96 और छत्तीसगढ़ में 84 मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में देशभर की कुल शिकायतों का बड़ा हिस्सा केंद्रित रहा। कुछ राज्यों में त्वरित पुलिस कार्रवाई से रोकथाम में उल्लेखनीय सफलता मिली, जिनमें हरियाणा और तमिलनाडु शामिल हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम तथा दादरा एवं नगर हवेली से बाल विवाह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इससे स्पष्ट है कि पूरा देश एक जैसी सामाजिक परिस्थितियों में नहीं जी रहा। फिर भी जिन बड़े राज्यों में आर्थिक और भौतिक विकास के दावे अधिक हैं, वहां भी बाल विवाह जैसी कुरीतियों का बने रहना हमारी प्रगति की असमान और विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करता है।

बाल विवाह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक दबाव, लैंगिक भेदभाव और कई अन्य विकृत मानसिकताओं से जुड़ी समस्या है। जिस देश में तेज आर्थिक विकास, मोबाइल और डिजिटल पहुंच तथा शिक्षा के विस्तार के दावे किए जाते हैं, वहां दहेज प्रथा का निर्बाध बने रहना भी गंभीर विरोधाभास है। दहेज को अक्सर 'उपहार' का नाम देकर सामाजिक स्वीकृति देने की कोशिश की जाती है, लेकिन विवाह और तलाक से जुड़े विवादों से स्पष्ट होता है कि आज भी लड़कियों के परिवारों पर कार, मकान और अन्य महंगी वस्तुएं देने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव डाला जाता है। विडंबना यह है कि विवाह संबंध तय करते समय लड़की के परिवार की आर्थिक क्षमता का आकलन इस दृष्टि से किया जाता है कि उपहारों के नाम पर कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। धनाढ्य वर्ग में भी बेमेल विवाह और आर्थिक हैसियत के आधार पर रिश्तों का निर्धारण दिखाई देता है।

अतः यह मान लेना आत्मप्रवंचना होगी कि भारत ने पुरानी सामाजिक कुरीतियों से पूरी तरह मुक्ति पा ली है। आधुनिकता केवल तकनीक, धन, उपभोग और ऊंची इमारतों से नहीं आती। वास्तविक आधुनिकता तभी संभव है, जब समाज महिलाओं को वस्तु या लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाली स्वतंत्र नागरिक और नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में स्वीकार करे। सवाल यही है कि भौतिकवाद की चकाचौंध के बीच ये घृणित रूढ़ियां आखिर कब टूटेंगी और भारतीय समाज अपने व्यवहार में सच्ची प्रगतिशीलता कब अपनाएगा?

प्रेरणा

ज्ञान पाने की पहली शर्त है अपने भीतर की जगह बनाना

मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ पाने की कोशिश करता रहता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई सफलता की तलाश में रहता है और कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जो उसे जीवन को बेहतर ढंग से समझने में सहायता दे। लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बीच एक बात ऐसी है जिसे अक्सर मनुष्य भूल जाता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती। उसे ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। विशेष रूप से ज्ञान के मामले में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्ञान वहां नहीं ठहरता, जहां अहंकार पहले से अपना घर बना चुका हो। ज्ञान के लिए मन को खुला, सरल और विनम्र बनाना पड़ता है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंद से जुड़ी एक प्रसंगपूर्ण कथा इसी सत्य को बड़ी सहजता से सामने रखती है। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा कि जब वे लोगों को उपदेश देते हैं तो उनके सामने बैठे लोग नीचे रहते हैं और वे स्वयं ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। आनंद को यह व्यवस्था केवल एक सामान्य परंपरा नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इसके पीछे छिपे अर्थ को जानना चाहा। भगवान बुद्ध ने उनके प्रश्न का उत्तर किसी कठिन दार्शनिक तर्क से नहीं दिया, बल्कि प्रकृति के एक सामान्य दृश्य को उदाहरण बनाया।

बुद्ध ने आनंद से पूछा कि यदि कोई व्यक्ति झरने का पानी पीना चाहे तो वह क्या करेगा। क्या वह झरने के ऊपर जाकर पानी को पकड़ने की कोशिश करेगा या नीचे जाकर उस स्थान पर खड़ा होगा जहां पानी गिर रहा है? आनंद ने सहजता से उत्तर दिया कि प्यासे व्यक्ति को झरने के नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। बुद्ध ने कहा कि यही ज्ञान का स्वभाव भी है। जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसे ग्रहण करने के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है। प्यासे व्यक्ति की तरह ज्ञान का इच्छुक व्यक्ति भी यदि अपने मन को झुकाता है, तभी वह उस ज्ञान को अपने भीतर उतार सकता है।

यह उदाहरण केवल गुरु और शिष्य के संबंध को नहीं समझाता, बल्कि पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखता है। मनुष्य जब तक स्वयं को पूर्ण समझता रहेगा, तब तक उसके भीतर नई सीख के लिए जगह नहीं बनेगी। अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उसे दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी राय को अंतिम मानने लगता है और धीरे-धीरे उसके भीतर सीखने की इच्छा समाप्त होने लगती है। इसके विपरीत विनम्रता व्यक्ति को लगातार आगे बढ़ाती है।

विनम्रता का अर्थ स्वयं को कमतर आंकना नहीं है। इसका अर्थ यह समझना है कि जीवन बहुत बड़ा है और हमारी जानकारी उसकी तुलना में बहुत छोटी है। हम चाहे जितना पढ़ लें, जितना अनुभव प्राप्त कर लें और जितनी सफलता हासिल कर लें, फिर भी सीखने के लिए कुछ न कुछ हमेशा बचा रहता है। यही भावना मनुष्य को जीवंत बनाए रखती है। जिस दिन वह यह मान लेता है कि अब उसे कुछ सीखना बाकी नहीं, उसी दिन उसकी मानसिक प्रगति रुकने लगती है।

जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम समस्या समझते हैं, लेकिन बाद में वही परिस्थितियां हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षक साबित होती हैं। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, संघर्ष हमें अपनी क्षमता का परिचय कराता है, गलतियां हमें सावधान करती हैं और कठिन समय हमें यह समझाता है कि कौन हमारे साथ वास्तव में खड़ा है। लेकिन इन अनुभवों से सीखने के लिए भी व्यक्ति को अपने भीतर स्वीकार करने की शक्ति रखनी पड़ती है। यदि वह हर असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहे, तो वह उस घटना से मिलने वाली सीख को खो देता है।

इसी प्रकार किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनना भी एक कला है। सुनना केवल कानों का काम नहीं है, बल्कि मन का भी काम है। कई बार हम किसी की बात सुनते हुए भी भीतर ही भीतर उसका जवाब तैयार करते रहते हैं। ऐसे में शब्द हमारे कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन उनका अर्थ मन तक नहीं पहुंचता। वास्तविक सीख तब मिलती है जब हम पूर्वाग्रहों को कुछ समय के लिए किनारे रखकर सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करते हैं। बुद्ध की शिक्षा में समर्पण का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि सीखने के प्रति ईमानदार समर्पण है। यदि किसी गुरु या शिक्षक से ज्ञान लेना है तो पहले अपने मन में विश्वास पैदा करना होगा। प्रश्न पूछना गलत नहीं है, बल्कि सही प्रश्न ज्ञान को और गहरा बनाता है। लेकिन हर बात को केवल विरोध की दृष्टि से देखना व्यक्ति को सीखने से दूर कर देता है। खुला मन प्रश्न भी करता है और उत्तर मिलने पर अपनी सोच में आवश्यक परिवर्तन करने का साहस भी रखता है।

झरने से निकलने वाली जलधारा अंततः सागर में पहुंचती है। सागर अपनी विशालता के कारण हर छोटी-बड़ी धारा को अपने भीतर समाहित कर लेता है। मनुष्य भी यदि अपने भीतर ऐसी ही विशालता पैदा कर ले तो वह जीवन के अनेक अनुभवों से ज्ञान अर्जित कर सकता है। वह केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि लोगों से, परिस्थितियों से, प्रकृति से और अपनी गलतियों से भी सीखने लगेगा।

आज के दौर में जब हर व्यक्ति स्वयं को सही साबित करने की होड़ में लगा है, तब विनम्रता की आवश्यकता और बढ़ गई है। सोशल मीडिया और आधुनिक संचार माध्यमों ने हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अवसर दिया है, लेकिन अपनी राय बदलने की विनम्रता बहुत कम दिखाई देती है। किसी बात पर अड़ जाना आसान है, लेकिन सही बात सामने आने पर यह कहना कि "मैं गलत था" साहस मांगता है। यही साहस वास्तविक ज्ञान की पहचान है।

इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल ऊंचा उठने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि समय आने पर झुकने की कला भी सीखनी चाहिए। जो व्यक्ति सीखने के लिए झुकता है, वह अपने व्यक्तित्व को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे और विशाल बनाता है। ज्ञान किसी एक स्थान पर बंद नहीं है। वह अनुभवों, पुस्तकों, लोगों और परिस्थितियों के रूप में हर ओर मौजूद है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हमारा मन उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी उपलब्धियों के बावजूद विद्यार्थी बना रहता है। वह उम्र बढ़ने के साथ सीखना बंद नहीं करता, बल्कि प्रत्येक नए अनुभव को अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का अवसर मानता है।

Uzbekistan ने क्या India को धोखा दे दिया? जब Modi से हाथ मिला रहे थे Mirziyoyev, उसी समय Tashkent में क्यों उतर रहे थे China के J-10 Fighter Jet?

एक तरफ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गले मिल रहे थे, भारत के साथ दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का ऐलान हो रहा था और दूसरी तरफ उसी उज्बेकिस्तान की धरती पर चीन के J-10CE लड़ाकू विमान उतर रहे थे। यही है नई दुनिया की राजनीति, जहां मुस्कुराहटों के पीछे हित हैं, समझौतों के पीछे शक्ति है और दोस्ती की असली कीमत रणनीतिक क्षमता से तय होती है।भारत को इस तस्वीर को सिर्फ एक रक्षा सौदे के रूप में देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। मध्य एशिया में चीन अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सिर्फ सड़कें और निवेश नहीं, अब लड़ाकू विमान भी भेज रहा है। हम आपको बता दें कि उज्बेक वायुसेना ने चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के J-10CE मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की पहली खेप हासिल कर ली है। पाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान इस चीनी लड़ाकू विमान को संचालित करने वाला दूसरा विदेशी देश बन गया है। रिपोर्टों के अनुसार उज्बेकिस्तान ने 24 J-10CE विमानों का ऑर्डर दिया है और इसमें कम से कम छह विमान देश को मिल चुके हैं। ये विमान उज्बेकिस्तान के 35वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पहुंचे। सवाल उठता है कि चीन आखिर मध्य एशिया के आसमान में अपनी सैन्य मौजूदगी क्यों बढ़ाना चाहता है?

उल्लेखनीय है कि J-10CE कोई साधारण विमान नहीं है। चीन इसे अपनी एयरोस्पेस ताकत के प्रतीक के रूप में पेश करता है। 'विगोरस ड्रैगन' नाम वाला यह लड़ाकू विमान आधुनिक AESA रडार, इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और उन्नत एवियोनिक्स से लैस है। इसके पास लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 मिसाइल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी विमानों द्वारा इस्तेमाल की गई ऐसी मिसाइलों से जुड़े अवशेष पंजाब के खेतों में मिलने की खबरों ने भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान का ध्यान इस चीनी हथियार प्रणाली की ओर खींचा था। साथ ही चीनी संस्करणों में PL-17 जैसी अत्यंत लंबी दूरी की मिसाइल भी शामिल है, जिसकी घोषित रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। ऐसी मिसाइलों का उद्देश्य लड़ाकू विमानों के पीछे छिपे बड़े रणनीतिक प्लेटफॉर्म जैसे AEW&CS और हवाई ईंधन भरने वाले विमान, आदि को निशाना बनाना होता है। यानी चीन केवल फाइटर जेट नहीं बेच रहा। वह हथियार, सेंसर, प्रशिक्षण, रखरखाव और भविष्य की सैन्य निर्भरता का पूरा पैकेज बेच रहा है। यही चीन की असली रणनीति है। वैसे J-10CE चीन का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है। वह भूमिका J-20 जैसे स्टील्थ विमानों की है। लेकिन निर्यात बाजार में J-10CE कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। एक इंजन वाला यह विमान अपेक्षाकृत कम लागत में आधुनिक रडार, मिसाइल और एवियोनिक्स उपलब्ध कराता है। हालांकि इसकी सीमाएं भी हैं। ट्विन-इंजन विमानों की तुलना में कम रेंज, सिंगल-इंजन सर्वाइवलिटी का जोखिम, रूसी इंजनों पर पुरानी निर्भरता और रडार पर अधिक दृश्यता इसे अत्याधुनिक विमानों की अपेक्षा कमजोर बनाती हैं। लेकिन सस्ता और आधुनिक विकल्प तलाश रहे देशों के लिए ये कमियां ज्यादा मायने नहीं रखतीं।

हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास करीब 20 J-10 विमान हैं, जबकि चीनी वायुसेना के पास 600 से अधिक बताए जाते हैं। अब उज्बेकिस्तान भी इस क्लब में शामिल हो गया है। बांग्लादेश भी इस विमान को हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अगर बांग्लादेश भी J-10CE खरीदता है, तो भारत के आसपास और व्यापक क्षेत्र में चीनी लड़ाकू विमानों की मौजूदगी बढ़ सकती है। इसलिए यह भारत के लिए चिंता की बात भी है।

हालांकि रिपोर्टें यह भी कहती हैं कि चीन के रक्षा निर्यात में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है। SIPRI के अनुसार वैश्विक हथियार खरीद बढ़ने के बावजूद चीन की बाजार हिस्सेदारी घटी है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में हथियारों की मांग विस्फोटक रूप से बढ़ी, लेकिन चीन इस बाजार का बड़ा लाभ नहीं उठा पाया। चीन के रक्षा निर्यात का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पर केंद्रित रहा है। ऐसे में उज्बेकिस्तान का सौदा चीन के लिए व्यापार के साथ-साथ मध्य एशिया में सैन्य दरवाजा खोलने का मौका है।

उधर, भारत-उज्बेकिस्तान के संबंधों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेक राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की है। देखा जाये तो भारत के लिए यह मामूली समझौता नहीं है। भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है और इसके लिए विश्वसनीय यूरेनियम आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए उज्बेकिस्तान के साथ यह व्यवस्था सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान उन्हें देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ओली दर्जाली दोस्तलिक' से भी सम्मानित किया गया। दोनों नेताओं का गर्मजोशी से मिलना और गले लगना भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों की बढ़ती निकटता का स्पष्ट संदेश था। लेकिन राष्ट्रहित की राजनीति में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। उज्बेकिस्तान भारत का साझेदार हो सकता है, लेकिन वह चीन से हथियार भी खरीदेगा। क्योंकि ताशकंद अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से चलाएगा। भारत भी यही कर रहा है मगर अब और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से इसे करना होगा। देखा जाये तो भारत दशकों तक मध्य एशिया के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करता रहा है। लेकिन अब मुकाबला इतिहास का नहीं, हार्ड पावर का है।

अभियान

रसोई का तवा सिर्फ रोटी सेंकने का साधन नहीं, इन परंपराओं से जुड़ा है घर का सुख-समृद्धि का भाव

भारतीय संस्कृति में रसोई को घर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। यह केवल वह स्थान नहीं है जहां परिवार के लिए भोजन तैयार होता है, बल्कि इसे अन्न, ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। हमारे पूर्वजों ने रसोई से जुड़ी अनेक छोटी-छोटी परंपराएं बनाई थीं, जिनका पालन आज भी कई परिवारों में किया जाता है। इन परंपराओं में चूल्हे, बर्तन, नमक, आटा, पानी और विशेष रूप से तवे को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। रोटी बनाने वाला तवा सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भारतीय लोक परंपरा, वास्तु और ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे विशेष स्थान दिया गया है।

कई घरों में आपने देखा होगा कि रोटी बनाने से पहले तवे पर पानी के छींटे दिए जाते हैं या दूध की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। कुछ परिवारों में तवे पर छींटे देने के बाद पहली रोटी गाय के लिए निकालने की परंपरा भी होती है। कहीं पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी कुत्ते के लिए और कुछ स्थानों पर पक्षियों या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन निकालने की परंपरा देखने को मिलती है। इन सभी परंपराओं के पीछे धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ सेवा, दान और जीवों के प्रति करुणा का विचार भी जुड़ा हुआ है।

हालांकि यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि तवे, राहु, दूध या इन परंपराओं के बीच बताए जाने वाले ज्योतिषीय संबंध वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं हैं। इन्हें भारतीय धार्मिक, लोक और ज्योतिषीय मान्यताओं के रूप में ही देखना उचित है। इनका उद्देश्य अक्सर घर के सदस्यों को अनुशासन, स्वच्छता, संयम, सेवा और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करना रहा है।

ज्योतिषीय मान्यता में तवे का संबंध राहु ग्रह से बताया जाता है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और पारंपरिक ज्योतिष में इसे भ्रम, तनाव, अस्थिरता, अचानक आने वाली परेशानियों और नकारात्मकता जैसी चीजों से जोड़ा जाता है। इसी कारण कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में रसोई के तवे को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि जिस प्रकार रसोई में भोजन तैयार होकर पूरे परिवार तक पहुंचता है, उसी प्रकार रसोई में रखी वस्तुओं की ऊर्जा का भी घर के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है।

दूध को भारतीय परंपरा में बहुत पवित्र माना गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में दूध का उपयोग अभिषेक से लेकर प्रसाद तक अनेक रूपों में किया जाता है। ज्योतिषीय परंपराओं में दूध का संबंध चंद्रमा से जोड़ा जाता है, जबकि चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गर्म तवे पर दूध की कुछ बूंदें डालने से तवे से जुड़ी नकारात्मकता कम होती है और घर में शांति तथा समृद्धि का वातावरण बना रहता है। लेकिन इसे कोई निश्चित उपाय या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति इस परंपरा का पालन करना चाहता है तो सबसे जरूरी बात सुरक्षा है। अत्यधिक गर्म तवे पर दूध डालना उचित नहीं है। बहुत गर्म लोहे या धातु की सतह पर दूध पड़ते ही वह तेजी से जल सकता है, चिपक सकता है और धुआं पैदा कर सकता है। इससे रसोई में जलने की गंध फैलने के साथ-साथ तवा भी खराब हो सकता है। इसलिए परंपरा का पालन करने की इच्छा हो तो तवे को अत्यधिक गर्म करने से पहले या हल्का गर्म होने की अवस्था में ही कुछ बूंदें डालना बेहतर है। दूध का प्रयोग न करना चाहें तो केवल पानी के छींटे देकर भी कई परिवार अपनी परंपरा निभाते हैं।

दरअसल, पुराने समय में रसोई की परिस्थितियां आज से काफी अलग थीं। मिट्टी के चूल्हे, लकड़ी और उपलों से जलने वाली आग तथा लोहे के भारी तवे का इस्तेमाल आम था। उस समय रसोई में काम करने वाले लोग अनुभव के आधार पर तापमान का अंदाजा लगाते थे। आज गैस चूल्हे और आधुनिक उपकरणों के कारण तापमान बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी पारंपरिक तरीके को अपनाते समय वर्तमान परिस्थितियों और सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी है।

तवे को लेकर एक और महत्वपूर्ण परंपरा उसकी स्वच्छता से जुड़ी है। भारतीय परिवारों में रसोई के बर्तनों को साफ-सुथरा रखने पर हमेशा जोर दिया गया है। तवा भी इससे अलग नहीं है। रोटी बनाने के बाद तवे पर आटे के कण, तेल या जली हुई परत रह जाए तो अगली बार खाना बनाते समय धुआं या गंध पैदा हो सकती है। इसलिए तवे को उपयोग के बाद उचित तरीके से साफ करना चाहिए। लोहे के तवे को साफ करते समय उसकी सतह को नुकसान पहुंचाने वाले अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। परंपरागत मान्यताओं में तवे को उल्टा रखने से भी मना किया जाता है। कहा जाता है कि तवे को उल्टा रखने से घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं या अन्न की कमी का संकेत माना जाता है। यह धार्मिक या वास्तु संबंधी विश्वास है, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी तवे को सही तरीके से रखने के पीछे व्यावहारिक कारण जरूर हो सकता है। जिस सतह पर भोजन पकता है, उसे धूल और गंदगी से बचाकर रखना स्वच्छता की दृष्टि से भी अच्छा है। इसलिए तवे को साफ करके उसकी खाना पकाने वाली सतह को सुरक्षित रखना एक अच्छी आदत है।

कई परिवार तवे को ऐसी जगह रखने की परंपरा भी निभाते हैं जहां बाहर से आने वाले व्यक्ति की सीधी नजर उस पर न पड़े। वास्तु संबंधी मान्यताओं में रसोई की वस्तुओं को व्यवस्थित और मर्यादित ढंग से रखने की सलाह दी जाती है। तवे को लेकर भी माना जाता है कि उसे खुले में या बहुत प्रमुख स्थान पर रखने के बजाय रसोई में उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो किसी भी रसोई उपकरण को सुरक्षित, सूखी और साफ जगह पर रखना अधिक महत्वपूर्ण है।

तवे के साथ पहली रोटी की परंपरा भारतीय घरों की सबसे भावनात्मक परंपराओं में से एक है। कई घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। इसके पीछे गौसेवा और जीवों के प्रति करुणा की भावना जुड़ी हुई है। कुछ मान्यताओं में इसे पितरों की शांति और गृहक्लेश से राहत से भी जोड़ा जाता है। इसी तरह कुछ परिवार पहली रोटी किसी पशु-पक्षी के लिए और दूसरी रोटी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए निकालते हैं। इन परंपराओं का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि भोजन केवल परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें दूसरे जीवों और जरूरतमंद लोगों का भी हिस्सा हो।

पहली रोटी निकालने की परंपरा हमें यह संदेश भी देती है कि भोजन का सम्मान करना चाहिए। जिस अन्न को किसान खेत में कठिन परिश्रम से उगाता है, वह अनेक प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारे घर तक पहुंचता है। रसोई में उस अन्न से भोजन तैयार होता है और फिर परिवार की भूख मिटती है। इसलिए अन्न को व्यर्थ फेंकने के बजाय उसका सम्मान करना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यदि तवे से जुड़ी किसी परंपरा के माध्यम से यह भावना अगली पीढ़ी तक पहुंचती है तो उसका सामाजिक महत्व भी है। तवे को लेकर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इसे गंदा छोड़ना, अत्यधिक जली हुई परत जमा होने देना या लंबे समय तक बिना उपयोग के अस्वच्छ अवस्था में रखना ठीक नहीं है। रसोई में स्वच्छता का सीधा संबंध परिवार के स्वास्थ्य से है। चाहे कोई व्यक्ति वास्तु या ज्योतिषीय मान्यताओं में विश्वास करे या न करे, साफ रसोई और साफ बर्तनों का महत्व सभी के लिए समान है।

इसी तरह तवे को किसी भी ज्वलनशील वस्तु के पास नहीं रखना चाहिए। गैस चूल्हे के आसपास कपड़े, कागज या अन्य आसानी से आग पकड़ने वाली वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। यदि तवा बहुत गर्म हो तो उसे तुरंत पानी से ठंडा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से यदि तवा बहुत अधिक तापमान पर हो। अचानक तापमान परिवर्तन से धातु को नुकसान पहुंच सकता है और गर्म सतह से भाप या छींटे उछल सकते हैं। इसलिए रसोई में परंपरा से पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है।

हमारी परंपराओं की सुंदरता इस बात में है कि उनमें कई बार जीवन को व्यवस्थित करने वाले छोटे-छोटे संदेश छिपे होते हैं। तवे को साफ रखना स्वच्छता सिखाता है, उसे व्यवस्थित स्थान पर रखना अनुशासन की भावना पैदा करता है, अन्न को सम्मान देना कृतज्ञता सिखाता है और पहली रोटी किसी जीव के लिए निकालना करुणा का भाव जगाता है। ज्योतिषीय मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन इन परंपराओं को जीवन के सकारात्मक मूल्यों से जोड़कर देखना अधिक सार्थक हो सकता है। इसलिए यदि आपके घर में तवे पर पानी या दूध के छींटे देने की परंपरा है तो उसे श्रद्धा और समझ के साथ निभा सकते हैं, लेकिन इसे किसी निश्चित वैज्ञानिक उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। दूध डालते समय तवे को बहुत अधिक गर्म न करें और रसोई की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट : नई दिल्ली कर्टेन रेजर

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने निवेशकों और बिजनेस लीडर्स से गुजरात में प्रत्येक निवेश को विकास का माध्यम, उद्योगों को रोजगार का आधार और इनोवेशन को भारत की शक्ति बनाकर 'विकसित भारत 2047' के लिए विकसित गुजरात के निर्माण में सहभागी होने का आह्वान किया

▶▶ वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबल इन्वेस्टर्स के गुजरात पर भरोसे का प्रतीक और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन गई है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात समिट ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि जहां नियमों में पारदर्शिता और व्यवस्था में गति होती है, वहां निवेश स्वतः आकर्षित होता है

▶▶ गुजरात ने ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया है, जहां निवेशकों को नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता, कुशल मानवबल, विश्वास और सुरक्षा, सब कुछ एक साथ मिलता है

▶▶ पारंपरिक उद्योगों में अपनी शक्ति साबित की है, अब भविष्य के उद्योगों में नेतृत्व करने के लिए कमर कस ली है

▶▶ प्रधानमंत्री के 'सप्तधारा' के संकल्प को साकार करने के लिए गुजरात मजबूती से अपनी भूमिका निभाएगा। वाइब्रेंट समिट 2027 सप्तधारा के हर संकल्प को देगी नई गति

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▶▶ गुजरात विजन और एग्जीक्यूशन का श्रेष्ठ उदाहरण है

▶▶ गुजरात में निवेश किया गया हर एक रुपया सुरक्षित और उचित रिटर्न की गारंटी है

▶▶ सेमीकंडक्टर से लेकर पोर्ट्स तक 'गुजरात' निवेशकों की पहली पसंद बन गया है, जो 25 वर्षों के अटूट विश्वास को दर्शाता है

▶▶ गुजरात ने स्थिर सरकार, सतत प्रगति और उद्योग-उन्मुख नीतियों के जरिए निवेश के लिए विश्वसनीय माहौल बनाया है : केंद्रीय मंत्री श्री मनसुखभाई मांडविया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विशिष्ट सोच से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि जहां नीति में स्थिरता, निर्णय में पारदर्शिता और व्यवस्था में गति होती है, वहां निवेशक अपने आप आकर्षित होते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने यह बात 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027' के नई दिल्ली में आयोजित कर्टेन रेजर इवेंट में कही।

मुख्यमंत्री ने इस इवेंट में निवेशकों और बिजनेस लीडर्स को गुजरात में निवेश के जरिए विकास यात्रा में सहभागी होने का आमंत्रण देते हुए उनसे यह आह्वान किया कि वे राज्य में प्रत्येक निवेश को विकास का माध्यम, उद्योग को रोजगार का आधार और इनोवेशन को भारत की शक्ति बनाकर 'विकसित भारत 2047' के लिए 'विकसित गुजरात 2047' के निर्माण में भागीदार बनें।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2003 में एक अभिनव विचार के साथ दुनिया के निवेशकों को गुजरात के साथ जोड़ने के लिए वाइब्रेंट समिट शुरू की थी। उन्होंने गर्व से कहा कि आज यह समिट दुनिया के उद्योगों और निवेशकों के गुजरात पर भरोसे का प्रतीक और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन गई है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया सहित मुख्य सचिव श्री एम.के. दास और केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहली बार आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के इस प्रमोशनल इवेंट में अग्रणी उद्योग संचालक और निवेशक बड़ी संख्या में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात की 25 वर्षों की अविरत विकास यात्रा की सफलता और नए गुजरात की नई आकांक्षाओं के उद्घोष का अवसर है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21वीं सदी के भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के प्रमुख दूरदर्शी नेताओं की पंक्ति में सबसे आगे हैं। आज हर किसी को विश्वास है कि- 'मोदी है तो मुमकिन है।'

मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री ने असंभव प्रतीत होने वाले कामों को संभव कर दिया है। इतना ही नहीं, जो कभी केवल एक सपना था, आज वह भारत की विकास यात्रा का संकल्प बन गया है।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात ने इस परिवर्तन को बहुत ही निकट से देखा है और प्रधानमंत्री के 'जो कहना, वह करके दिखाना' के मंत्र को वाइब्रेंट समिट के जरिए धरातल पर उतारा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को केवल निवेश आकर्षित करने वाले राज्य के रूप में ही नहीं, बल्कि देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के इरादे के साथ वाइब्रेंट समिट का विचार दिया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने विस्तार से बताया कि कैसे गुजरात आज डेवलपमेंट के रोल मॉडल के रूप में 'डेवलपमेंट विद डिलीवरी' के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल की व्याख्या केवल सड़क, बिजली, पानी या उद्योग तक ही सीमित नहीं है।

उन्होंने कहा कि गुजरात ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है, जहां निवेशक को जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा नीतिगत स्थिरता, स्पीड, पारदर्शिता, कुशल मानवबल, विश्वास और सुरक्षा, सब कुछ एक साथ मिलता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी के परिणामस्वरूप गुजरात देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने के मामले में अग्रणी राज्य है। पारंपरिक उद्योगों में अपनी शक्ति साबित करने के बाद, अब गुजरात ने भविष्य के उद्योगों में नेतृत्व करने के लिए कमर कस ली है।

उन्होंने यह भी कहा कि 'विकसित गुजरात-शेपिंग ग्लोबल फ्यूचर' की थीम के साथ आयोजित होने वाली वाइब्रेंट समिट 2027 गुजरात को सॉफ्ट पावर में अग्रणी बनाने तथा सेमीकंडक्टर, फिनटेक, ग्रीन हाइड्रोजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों और ग्रीन ग्रोथ पर विशेष फोकस करेगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर 'सप्तधारा' का जो विकास आह्वान किया है, उसे गुजरात आत्मसात करने के लिए पूरी तरह सज्ज है।

मैन्युफैक्चरिंग तथा डायमंड इंडस्ट्री में गुजरात की कैपेसिटी, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, गतिशक्ति में कनेक्टिविटी, डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एवं ब्लू इकोनॉमी में नेचुरल स्ट्रेंथ और सॉफ्ट पावर में संस्कृति; इन सभी को एक साथ जोड़कर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट-2027 से प्रधानमंत्री के सप्तधारा संकल्प को गति देने का संकल्प व्यक्त किया।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने देश-विदेश के निवेशकों एवं उद्यमियों को गुजरात में निवेश करने का आमंत्रण देते हुए कहा, "एग्जीक्यूशन रहित विजन केवल भाषण बनकर रह जाता है और विजन रहित एग्जीक्यूशन केवल भागदौड़ है। गुजरात ने सटीक विजन तथा तेज क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत किया है।"

उन्होंने कहा कि गुजरात की अविरत विकास यात्रा में सरकार तथा उद्योग जगत के बीच परस्पर विश्वास सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार केवल शासक ही नहीं, बल्कि 'टीम गुजरात' बनकर उद्योगों के विचारों तथा आवश्यकताओं को समझकर नए अवसरों का सृजन कर रही है।

गुजरात की आर्थिक प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2002-03 में गुजरात की अर्थव्यवस्था लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपए की थी, जो दूरदर्शी नीतियों एवं नागरिकों के परिश्रम से आज लगभग 27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। देश की जनसंख्या में 5 प्रतिशत तथा भूगोल में 6 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला गुजरात देश की कुल जीडीपी में 8.2 प्रतिशत तथा कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में लगभग 18 प्रतिशत योगदान देता है। गुजरात ने अब तक 74.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जबकि देश के 40 प्रतिशत से अधिक कार्गो की हैंडलिंग गुजरात के बंदरगाहों द्वारा होती है।

निवेशकों को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा देते हुए उप मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि कोई भी उद्योगपति अपने निवेश की सुरक्षा एवं उत्कृष्ट रिटर्न चाहता है और गुजरात इन दोनों बातों के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 25 वर्षों में सरकार ने जो इंसेंटिव्स देने का वादा किया हो, उसे पूरा नहीं किया हो; ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है। प्रशासनिक पारदर्शिता तथा गति बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग में इंसेंटिव फाइलों को क्लियर करने की गति प्रतिदिन 160 से बढ़ाकर 395 तक पहुंचाई गई है, जिसे शीघ्र ही प्रतिदिन 500 फाइलें करने का लक्ष्य है।

उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट-2027 में सहभागी बनकर राज्य की प्रगति से जुड़ने के लिए निवेशकों को हृदयपूर्वक आमंत्रित किया।

केंद्रीय मंत्री श्री मनसुखभाई मांडविया

केंद्रीय मंत्री श्री मनसुखभाई मांडविया ने इस अवसर पर निवेशकों का ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्टोरेज, डेटा सेंटर तथा सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का अध्ययन करके वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट-2027 में सक्रिय भागीदारी करने और गुजरात में निवेश करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि गुजरात का कल्चर ही एंटरप्रेन्योरशिप तथा बिजनेस का है। गुजरात की सकारात्मक विचारधारा एवं व्यापार करने की परंपरा आज राज्य को देश के अग्रणी निवेश केंद्रों में स्थान दिलाती है। उन्होंने जोड़ा कि समय के साथ बदलाव करने का दृष्टिकोण गुजरात ने सदियों से अपनाया है। लोथलकाल से लेकर आज तक गुजरात व्यापार, उद्यमिता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा रहा है।

उन्होंने कहा कि एक के बाद एक वाइब्रेंट समिट के साथ गुजरात में निवेश के अवसर तथा निवेशकों का विश्वास निरंतर बढ़ा है। गुजरात के इंडस्ट्रियल सिस्टम ने आज केवल भारतीय उद्यमियों के लिए ही नहीं, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए भी विशाल अवसर सृजित किए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि कोविड-19 के बाद रूस-यूक्रेन संघर्ष तथा पश्चिम एशिया में उत्पन्न हुई अस्थिरता जैसी वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत गति से आगे बढ़ रही है।

श्री मनसुखभाई मांडविया ने निवेशकों से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट-2027 को केवल एक समिट के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के अवसरों को समझने तथा गुजरात की विकास यात्रा में भागीदार बनने के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में देखने की अपील की।

गुजरात के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि गुजरात के विकास मॉडल को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि गुजरात सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों तथा निरंतर आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले 20 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी रुपए आधारित मूल्य में लगभग 20 गुना बढ़ी है। गुजरात की आर्थिक वृद्धि दर वर्तमान में लगभग 10 से 11 प्रतिशत के आसपास है तथा चालू वित्तीय वर्ष में विकास की गति और अधिक मजबूत रहने की संभावना है।

केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में गुजरात की भूमिका के साथ-साथ पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में उसकी इमेज लगातार मजबूत हुई है।

एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के अध्यक्ष श्री निर्मल मिंडा ने गुजरात की निवेश क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुजरात ने अक्टूबर 2019 से मार्च 2026 के दौरान लगभग 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित किया है।

उन्होंने कहा कि गुजरात का निर्यात जून 2026 तक लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है, जो भारत के राज्यों के कुल निर्यात में लगभग 27 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है।

गुजरात के उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा ने गुजरात की विकास यात्रा तथा गुजरात में उद्योगों के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि प्राचीन समय से समुद्री मार्गों से जुड़ा गुजरात आज वैश्विक सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है।

पारडी थाने में नशे में युवक-युवतियों का हंगामा, पुलिसकर्मियों से भिड़े; झड़प में कांस्टेबल का हाथ फ्रैक्चर

वलसाड। पारडी पुलिस स्टेशन परिसर में शराब के नशे में पहुंचे युवक-युवतियों के हंगामे ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब उनकी पुलिसकर्मियों के साथ कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की और झड़प हो गई। इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया, जिसके हाथ में फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस स्टेशन परिसर में हुई इस घटना के बाद कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पारडी पुलिस स्टेशन में कुछ युवक-युवतियां शराब के नशे में मौजूद थे। किसी बात को लेकर उनकी पुलिसकर्मियों से कहासुनी शुरू हो गई। शुरुआती बहस देखते ही देखते तेज विवाद में बदल गई और मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। पुलिसकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को चोट लग गई। चोट इतनी गंभीर थी कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। घायल कांस्टेबल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके हाथ की जांच की। पुलिसकर्मी के घायल होने के बाद थाने में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया और घटना में शामिल लोगों को संभालने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस स्टेशन जैसी जगह पर इस तरह का हंगामा होने से वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों में भी अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद घटना में शामिल युवक-युवतियों से पूछताछ की गई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई।

पुलिस जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और झड़प के दौरान किस तरह की स्थिति बनी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया और कांस्टेबल को चोट किस परिस्थिति में लगी। घटना के बाद पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है, जिससे पूरे घटनाक्रम का क्रम स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।

पुलिस अधिकारियों के सामने अब घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है। केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के बजाय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि झड़प में कौन-कौन शामिल था और कांस्टेबल को चोट किसके कारण लगी। पुलिस स्टेशन में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में थाने के भीतर ही पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट या झड़प की घटना को गंभीर माना जाता है। खासकर तब, जब घटना में किसी पुलिसकर्मी को शारीरिक चोट आई हो। इस मामले में कांस्टेबल के हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। शराब के नशे में सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करने की घटनाएं कई बार विवाद को गंभीर रूप दे देती हैं। नशे की स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण कम होने के कारण मामूली कहासुनी भी हाथापाई में बदल सकती है। हालांकि, इस मामले में विवाद किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका अंतिम निर्धारण पुलिस जांच के बाद ही होगा। पारडी पुलिस इस पूरे मामले में घटना से जुड़े लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिसकर्मी के घायल होने के कारण मामले को सामान्य विवाद की बजाय गंभीरता से देखा जा रहा है। जांच के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई किए जाने की संभावना है। घटना ने पुलिस स्टेशन परिसर की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून और पुलिस व्यवस्था का सम्मान करे। किसी भी शिकायत या विवाद को बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, लेकिन पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई या हिंसक व्यवहार स्थिति को गंभीर बना सकता है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत सितंबर-2026 महीने के लिए

त्योहारों में नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध

गांधीनगर : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत पंजीकृत अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारकों को त्योहारों में चीनी की पर्याप्त मात्रा आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए अग्रिम योजना बनाई गई है। उचित मूल्य की दुकानों के दुकानदारों के लिए सितंबर-2026 महीने की चीनी सहित अन्य वस्तुओं के चालान भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब दिनांक 03 सितंबर 2026 कर दी गई है।

चीनी वितरण के नियम और रियायती दर राज्य में अंत्योदय तथा बीपीएल श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार चीनी का वितरण किया जाता है। इसमें अंत्योदय कार्डधारकों के लिए 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा बीपीएल कार्डधारकों के लिए 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जाता है।

आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक महीने पहले यानी अगस्त-2026 में ही परिवार की आवश्यकता के अनुसार चीनी का आवंटन किया गया था। जिसके अंतर्गत अब तक कुल 7,100 मीट्रिक टन चीनी की मात्रा लाभार्थियों को वितरित की गई है। इसके अलावा; सितंबर-2026 महीने के लिए राज्य में कुल 4,500 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन किया गया है। जिससे राज्य में नागरिकों को समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार चीनी उपलब्ध हो सकेगी।

पश्चिम रेलवे की संशोधित उपनगरीय समय सारणी 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी,छह नई सेवाएँ, दादर–दहानू रोड के बीच सीधी कनेक्टिविटी एवं दो अतिरिक्त एसी सेवाएँ

पश्चिम रेलवे द्वारा 1 सितंबर, 2026 से अपनी संशोधित उपनगरीय समय सारणी लागू की जाएगी। यह संशोधित समय सारणी यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिसमें छह नई उपनगरीय सेवाओं का प्रावधान, दादर और दहानू रोड स्टेशनों के बीच सीधी कनेक्टिविटी, चर्चगेट की ओर बेहतर कनेक्टिविटी तथा एसी सेवाओं में वृद्धि शामिल है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संशोधित समय सारणी के तहत पश्चिम रेलवे द्वारा कुल 1,414 उपनगरीय सेवाएँ संचालित की जाती रहेंगी। छह नई सेवाएँ शुरू की जाएंगी, जिनमें दो अप दिशा में तथा चार डाउन दिशा में होंगी, जबकि नई समय सारणी के तहत छह मौजूदा सेवाएँ निरस्त की जाएंगी। सप्ताह के दिनों में एसी सेवाओं की संख्या 145 से बढ़ाकर 147 कर दी गई है। शनिवार एवं रविवार को 116 एसी सेवाएँ संचालित की जाएंगी।

संशोधित समय सारणी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

छह नई स्लो सेवाओं की शुरुआतः दो नई अप सेवाएँ शुरू की जाएंगी। पहली, ट्रेन संख्या 90400 बांद्रा–चर्चगेट, जो बांद्रा से 11.58 बजे प्रस्थान कर 12.30 बजे चर्चगेट पहुँचेगी। दूसरी, ट्रेन संख्या 91020 विरार–बोरीवली, जो विरार से 23.51 बजे प्रस्थान कर 00.26 बजे बोरीवली पहुँचेगी। इसी तरह चार नई डाउन सेवाएँ शुरू होंगी। इनमें ट्रेन संख्या 90105 भायंदर–विरार 07.46 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 90929 बोरीवली–भायंदर 22.14 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 90943 बोरीवली–विरार 22.51 बजे प्रस्थान करेगी। और अंत में, ट्रेन संख्या 91017 बोरीवली–भायंदर 00.28 बजे प्रस्थान करेगी।

छह मौजूदा सेवाएँ निरस्तः अप दिशा की दो सेवाएँ निरस्त की गई हैं। इनमें बोरीवली से 10.50 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 94138 (एसी) और 14.30 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 90540 बोरीवली–चर्चगेट शामिल हैं। डाउन दिशा की चार सेवाएँ भी निरस्त की गई हैं। इनमें 09.56 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 94137 (एसी) चर्चगेट–बोरीवली, 11.00 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 90359 चर्चगेट–मुंबई सेंट्रल (लोकल), 13.16 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 90483 चर्चगेट–बोरीवली और 21.01 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 90911 चर्चगेट–मुंबई सेंट्रल (लोकल) शामिल हैं।

दादर–दहानू रोड के बीच सीधी कनेक्टिविटीः मौजूदा ट्रेन संख्या 90677 दादर–विरार और 93033 विरार–दहानू रोड को एकीकृत कर दिया गया है। अब यह दादर से दहानू रोड तक एक सीधी सेवा के रूप में उपलब्ध होगी। संशोधित ट्रेन संख्या 93033 दादर से 17.22 बजे प्रस्थान कर 19.30 बजे दहानू रोड पहुँचेगी।

विस्तारित ट्रेन सेवाएँः विरार से 08.23 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 92046 विरार–दादर को अब चर्चगेट तक विस्तारित किया जाएगा। यह ट्रेन संख्या 92056 के रूप में परिचालित होगी और 09.48 बजे चर्चगेट पहुँचेगी। इसके अलावा, मौजूदा ट्रेन संख्या 92069 दादर–विरार को भी संशोधित किया जाएगा। यह अब ट्रेन संख्या 92083 के रूप में चर्चगेट से 09.52 बजे प्रस्थान कर नालासोपारा तक परिचालित होगी।

दो अतिरिक्त एसी सेवाएँः चर्चगेट से 17.28 बजे प्रस्थान करने वाली मौजूदा नॉन-एसी ट्रेन संख्या 90693 चर्चगेट–बोरीवली अब एसी ट्रेन संख्या 94105 के रूप में परिचालित होगी। इसी प्रकार, बोरीवली से 18.24 बजे प्रस्थान करने वाली मौजूदा नॉन-एसी ट्रेन संख्या 90758 बोरीवली–चर्चगेट अब एसी ट्रेन संख्या 94110 के रूप में परिचालित होगी। दोनों सेवाएँ अपने मौजूदा मार्ग एवं समय के अनुसार ही परिचालित होंगी।

ठहराव के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावः चर्चगेट से 18.22 बजे प्रस्थान करने वाली चर्चगेट–विरार फास्ट ट्रेन संख्या 94113 (एसी) और 19.05 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 90791 अब बोरीवली स्टेशन पर नहीं ठहरेंगी।

चर्चगेट–बोरीवली एसी सेवाओं में संशोधनः चर्चगेट से 10.24 बजे प्रस्थान करने वाली मौजूदा ट्रेन संख्या 94029 चर्चगेट–बोरीवली एसी स्लो सेवा अब गोरेगांव तक परिचालित की जाएगी। यह ट्रेन संख्या 94045 चर्चगेट–गोरेगांव एसी स्लो सेवा के रूप में चलेगी। वापसी दिशा में, बोरीवली से 11.35 बजे प्रस्थान करने वाली मौजूदा ट्रेन संख्या 94040 बोरीवली–चर्चगेट एसी स्लो सेवा अब गोरेगांव से 11.39 बजे प्रारंभ होगी। यह ट्रेन संख्या 94060 गोरेगांव–चर्चगेट एसी स्लो सेवा के रूप में परिचालित होगी।

संशोधित समय सारणी में परिचालन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नॉन-पीक आवर के दौरान कुछ अन्य सेवाओं के प्रारंभिक अथवा अंतिम स्टेशनों, मोड (स्लो/फास्ट), विस्तार तथा ठहराव के पैटर्न में भी चयनित बदलाव किए गए हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे संशोधित सेवाओं, समय सारणी एवं ठहराव के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

राज्य सरकार के संवेदनशील दृष्टिकोण से सागबारा-उमरपाडा में जमीन की खेती को लेकर विवाद का सकारात्मक समाधान

गांधीनगर : राज्य सरकार के सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण से सूरत जिले के उमरपाडा तहसील और नर्मदा जिले के सागबारा के आदिवासी किसानों के बीच जंगल की जमीन पर खेती और हक-अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद का उमरपाडा तहसील के हरिपुरा में जल संसाधन एवं जल आपूर्ति मंत्री एवं नर्मदा जिला प्रभारी मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल तथा वन, पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी, सांसद श्री मनसुखभाई वसावा की उपस्थिति में सुखद और शांतिपूर्ण समाधान हुआ।

राज्य सरकार की इस सकारात्मक गारंटी के बाद धरने पर बैठे सभी आंदोलनकारी किसानों ने महानुभावों के हाथों उपवास तोड़ कर धरना समाप्त किया।

समाज के सुदूरवर्ती व्यक्ति और वास्तविक हकदार नागरिक को उचित न्याय मिले, इसके लिए राज्य सरकार का हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, ऐसा बताते हुए वन मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी ने कहा कि किसानों की इन प्रस्तुतियों और स्थानीय स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा सांसद और स्थानीय विधायकों-जनप्रतिनिधियों के साथ गांधीनगर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में किसानों के प्रश्नों का कानूनी और न्यायसंगत समाधान लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

आगे मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में वन विभाग द्वारा आदिवासी समाज के भाई-बहनों को स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसके लिए सुव्यवस्थित योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा; 'कुसुम योजना' अंतर्गत आवश्यक सभी प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। समाज के सुदूरवर्ती क्षेत्र में बैठे व्यक्ति को भी विकास की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।

सांसद मनसुखभाई वसावा ने कहा कि जंगल क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे आदिवासी नागरिकों के सर्वांगीण विकास और समृद्धि के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। वनवासी भाई-बहनों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। वर्षों से जंगल की जमीन पर खेती करके अपना गुजारा चलाने वाले आदिवासी नागरिकों को उनका वास्तविक न्याय मिले, इसके लिए राज्य सरकार का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक और संवेदनशील रहा है।

आगे सांसद श्री मनसुख वसावा ने विश्वास व्यक्त किया कि पूर्व में जिन आदिवासी भाइयों को जंगल की जमीन के अधिकार-पत्र मिले हैं, उन सभी अधिकारी और अधिकारों के अनुसार आगामी समय में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जिला समिति के तहत वर्तमान में जो दावे लंबित हैं, उन सभी दावों के आवश्यक आधार-प्रमाणों की जांच करके आगामी दिनों में जंगल भूमि अधिकार अधिनियम (एफआरए कानून) के तहत पात्रता रखने वाले सभी आवेदकों को अधिकार-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री महेशभाई वसावा, भरूच जिला पंचायत प्रमुख श्री अंजनाबेन वसावा, पूर्व वन मंत्री श्री मोतीभाई वसावा, पुलिस तथा वन विभाग के अधिकारी विभिन्न गांवों के सरपंच, सामाजिक अग्रणी व किसान उपस्थित रहे।

ओलंपिक से पहले गुजरात में खेलों का नया इंफ्रास्ट्रक्चर, जीआईपीसीए में बनेंगे आधुनिक मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं

अहमदाबाद। प्रस्तावित ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के बीच गुजरात में खेल सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। अहमदाबाद स्थित गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीआईपीसीए परिसर में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई गई है। इन सुविधाओं का उद्देश्य भविष्य में होने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस और जेल विभाग से जुड़े प्रशिक्षुओं तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करना है। पुलिस महानिदेशक (क्राइम) केएलएन राव ने रविवार को राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी।

जीआईपीसीए परिसर को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से संस्थान के मौजूदा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है। इस आधुनिकीकरण योजना में केवल खेल सुविधाओं को ही शामिल नहीं किया गया है, बल्कि प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा से जुड़े संसाधनों को भी मजबूत किया जा रहा है। परिसर में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी विकसित की जा रही हैं। इसके साथ ही जेल असिस्टेंट से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है।

केएलएन राव ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और मानसिक मजबूती भी विकसित होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जेल विभाग में कार्यरत कर्मियों के लिए शारीरिक फिटनेस और अनुशासन का विशेष महत्व है। ऐसे में प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक खेल सुविधाओं की उपलब्धता से प्रशिक्षुओं को अपने पेशेवर दायित्वों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी।

प्रस्तावित ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए जीआईपीसीए परिसर में अलग-अलग खेलों के लिए आधुनिक मैदान विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। इन मैदानों और खेल सुविधाओं का इस्तेमाल प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं के साथ-साथ विभागीय खेल प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा। आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने के बाद संस्थान में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं और कर्मचारियों को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

अहमदाबाद में बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की संभावित मेजबानी को देखते हुए शहर में खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। बड़े आयोजन केवल स्टेडियमों के निर्माण तक सीमित नहीं होते, बल्कि खिलाड़ियों और विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े कर्मियों के लिए प्रशिक्षण, फिटनेस और सहायक सुविधाओं की भी जरूरत होती है। जीआईपीसीए में खेल सुविधाओं को विकसित करने की योजना को इसी व्यापक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है।

राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर जीआईपीसीए में आयोजित कार्यक्रम में जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी खेल गतिविधियों में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 'खेलेगा भारत, जीतेगा भारत' थीम के तहत 28 से 30 अगस्त तक देशभर में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का हिस्सा था। आयोजन का उद्देश्य खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और खेल भावना को प्रोत्साहित करना था।

कार्यक्रम के दौरान जीआईपीसीए परिसर में जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जोन-वार कबड्डी और रस्साकशी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच खेल भावना और आपसी समन्वय का माहौल देखने को मिला। प्रतियोगिताओं के जरिए कर्मचारियों को नियमित शारीरिक गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करने का भी संदेश दिया गया।

केएलएन राव ने नौ महीने के बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजर रहे प्रशिक्षुओं से भी संवाद किया। उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन बनाए रखने और पूरी लगन से अपनी जिम्मेदारियों को समझने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का समय केवल शारीरिक और तकनीकी कौशल हासिल करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह भविष्य की सेवा के लिए मानसिक रूप से तैयार होने का भी महत्वपूर्ण चरण है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

इस मौके पर गुजरात पुलिस की डीजीपी कप 2026-27 रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में जेल विभाग के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी चर्चा हुई। नडियाद स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में पूरे गुजरात से कुल 22 टीमों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में जेल विभाग के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 14 पदक अपने नाम किए। इनमें छह स्वर्ण, छह रजत और दो कांस्य पदक शामिल रहे। इस प्रदर्शन के आधार पर जेल विभाग की टीम ने टूर्नामेंट की चैंपियन ट्रॉफी भी हासिल की।

केएलएन राव ने जेल विभाग के खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी और कहा कि खेलों में सफलता हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और मेहनत जरूरी है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को विभाग के लिए गौरव का विषय बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी जेल विभाग के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे।

जीआईपीसीए में खेल सुविधाओं के विस्तार की योजना ऐसे समय में सामने आई है जब गुजरात में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। आधुनिक खेल मैदानों के निर्माण से न केवल विभागीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं की फिटनेस और खेल कौशल को भी बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा।

जेल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए शारीरिक दक्षता विशेष महत्व रखती है। उनकी जिम्मेदारियों में कानून-व्यवस्था, कैदियों की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और कई तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटना शामिल होता है। ऐसे में नियमित खेल और शारीरिक प्रशिक्षण उनके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। कबड्डी, रस्साकशी और कुश्ती जैसे खेल शारीरिक क्षमता के साथ टीमवर्क और मानसिक दृढ़ता विकसित करने में भी मदद करते हैं।

इसी क्रम में आगामी गुजरात पुलिस डीजीपी कप कबड्डी पुरुष 2026-27 प्रतियोगिता के लिए विभिन्न जेलों और जीआईपीसीए से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब चुने गए खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण और तैयारी का अवसर मिलेगा। विभागीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें आगे बढ़ाने की यह प्रक्रिया आने वाले समय में अधिक व्यवस्थित रूप ले सकती है।

जीआईपीसीए में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित होने के बाद संस्थान को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि खेल और फिटनेस गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावना है। स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के साथ खेल मैदानों का विकास प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को अधिक व्यापक बनाएगा। इससे प्रशिक्षण में तकनीकी शिक्षा और शारीरिक दक्षता दोनों को समान महत्व देने की व्यवस्था मजबूत हो सकती है।

बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए किसी भी शहर को लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण से लेकर अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की दक्षता तक कई स्तरों पर व्यवस्थाओं को मजबूत करना होता है। ऐसे में जीआईपीसीए जैसी संस्थाओं में सुविधाओं का आधुनिकीकरण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम माना जा रहा है।

फिलहाल जीआईपीसीए में आधुनिकीकरण का पहला चरण शुरू हो चुका है और आने वाले समय में खेल सुविधाओं को विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आधुनिक मैदान बनने के बाद विभाग के प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों को विभिन्न खेलों में नियमित अभ्यास का अवसर मिलेगा। साथ ही विभागीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध हो सकेगा।

गुजरात पुलिस और जेल विभाग के खिलाड़ियों का हालिया प्रदर्शन भी इस दिशा में उत्साह बढ़ाने वाला है। रेसलिंग क्लस्टर में 14 पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने दिखाया है कि विभाग के भीतर खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि इन खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक मैदान और आवश्यक सुविधाएं मिलती हैं तो वे भविष्य में और बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

अहमदाबाद में प्रस्तावित ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के बीच जीआईपीसीए में आधुनिक खेल सुविधाओं का विकास गुजरात के खेल और प्रशिक्षण ढांचे को नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकता है। स्मार्ट क्लासरूम से लेकर कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और आधुनिक खेल मैदानों तक सुविधाओं के विस्तार से प्रशिक्षुओं को एक ऐसा वातावरण मिलने की उम्मीद है, जहां शारीरिक दक्षता, तकनीकी ज्ञान, अनुशासन और टीम भावना को एक साथ विकसित किया जा सके। अब आने वाले समय में इन योजनाओं के धरातल पर उतरने और जीआईपीसीए को आधुनिक प्रशिक्षण एवं खेल केंद्र के रूप में विकसित करने पर नजर रहेगी।

हिमालय को बचाने की चेतावनी: हमारी असली ज़रूरत विकास नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ संतुलित विकास है

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है या नहीं? प्रकृति हमें बार-बार चेतावनी दे रही है। सवाल यह है कि क्या हम उस चेतावनी को सुन रहे हैं या नहीं? हिमालय को बचाना केवल पहाड़ों को बचाना नहीं है। यह नदियों, जंगलों, कृषि, शहरों और लाखों लोगों के भविष्य को बचाने का सवाल है। विकास और पर्यावरण के बीच चुनाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन विकास की दिशा बदलने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि सरकारें और समाज हिमालय को "विकास की प्रयोगशाला" के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत और अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखें। यही कारण है कि नेपाल में हुई वर्तमान त्रासदी इस तथ्य को उजागर करती है। नदी के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्रों में निर्माण, पहाड़ों की कटाई, जंगलों का विनाश और पर्यावरण की वहन क्षमता से अधिक अवसंरचनात्मक विकास से वनों की कटाई और पहाड़ों पर अतिक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे गंभीर मुद्दा जलवायु परिवर्तन है। हिमालय का तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, और कुछ क्षेत्रों में अस्थिर हिमनदी झीलों (पहाड़ों पर जमी बर्फ) और हिमस्खलन का खतरा बढ़ रहा है।

वैज्ञानिकों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि हिमालयी क्षेत्र में पिघलते ग्लेशियरों से अचानक बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। हाल की घटना ने इस चेतावनी को एक जीवंत वास्तविकता में बदल दिया है जिसे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा नेपाल में आज जो हुआ वह कल हिमालय के किसी अन्य कोने में भी हो सकता है।

एफएसएसएआई का बड़ा फैसला: पैकेट पर लाल रंग के षट्भुज में 'उच्च वसा, उच्च नमक और उच्च चीनी' की चेतावनी दिखाई देगी

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

देश में दिन-प्रतिदिन बढ़ती विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण उत्पन्न होने वाली शारीरिक समस्याओं और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण शरीर में फैलने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए, एफएसएसएआई उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए पैकेटों पर एक लाल षट्भुज चिह्न ला रहा है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने उपभोक्ताओं को चिंताजनक अवयवों वाले उत्पादों की पहचान करने में मदद करने के लिए खाद्य पैकेजों के सामने लाल रंग के षट्भुज में चेतावनी छापने पर सहमति व्यक्त की है।

एफएसएसएआई ने 13 अगस्त को पैक लेबलिंग संबंधी अदालत के आदेश के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के माध्यम से फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (एफओपीएल) के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए थे। यह कदम अदालत द्वारा केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने के बाद उठाया गया है। एफएसएसएआई ने कहा कि यदि केंद्र सरकार स्वयं इस पर कार्रवाई करती है, तो ठीक है, अन्यथा हम आगे निर्देश जारी करेंगे।

इस ढांचे के तहत, उत्पादों पर लाल रंग का षट्भुजाकार चेतावनी चिह्न लगाया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार लिखा होगा: उच्च वसा, उच्च नमक और उच्च चीनी। मीठे पेय पदार्थों के लिए चेतावनी चिह्न होगा: अत्यधिक मीठे पेय पदार्थ।

यह चेतावनी पैकेट के पीछे दी गई पोषण संबंधी जानकारी से एक पॉइंट बड़े फ़ॉन्ट में प्रदर्शित की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं लेबलिंग प्राधिकरण (FSSAI) ने घी, खाद्य तेल, नमक, चीनी, गुड़ और शहद जैसे एकल-घटक खाद्य पदार्थों को प्रस्तावित चेतावनियों से छूट देने पर सहमति व्यक्त की है, बशर्ते कि लागू खाद्य सुरक्षा एवं लेबलिंग नियमों का पालन किया जाए।

मंडल रेल प्रबंधक ने गांधीग्राम-बोटाद रेलखंड का किया विस्तृत संरक्षा निरीक्षण,गांधीग्राम, सरखेज एवं मोरैया स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं, संरक्षा एवं कर्मचारी कल्याण व्यवस्थाओं की समीक्षा

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री दिनेश वर्मा ने 30 अगस्त, 2026 को गांधीग्राम–बोटाद रेलखंड का विस्तृत संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य रेल परिचालन में संरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ-साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करना था।

निरीक्षण के दौरान डीआरएम श्री दिनेश वर्मा ने गांधीग्राम स्टेशन एवं रेलवे कॉलोनी, RUB-21, RUB-24, सरखेज तथा मोरैया स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलखंड में ट्रैक, सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली, लेवल क्रॉसिंग, रेलवे परिसंपत्तियों तथा अन्य संरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

गांधीग्राम, सरखेज एवं मोरैया स्टेशनों के निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, स्टेशन परिसरों के रखरखाव, सुरक्षा एवं संरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। साथ ही, यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं आवश्यक सुधारों पर भी चर्चा की गई।

डीआरएम ने रेलवे कॉलोनी एवं कर्मचारी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया तथा कर्मचारी कल्याण एवं बेहतर कार्य वातावरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास एवं अनुरक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार, संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता तथा कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाना भावनगर मंडल की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

डीआरएम श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संरक्षा से संबंधित सभी कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएँ। उन्होंने रेलवे परिसंपत्तियों के नियमित रखरखाव, सुरक्षित एवं सुचारु रेल संचालन तथा यात्रियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएँ उपलब्ध कराना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यात्री सुविधाओं एवं संरक्षा व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाएं।

निरीक्षण के दौरान मंडल के विभिन्न शाखाधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

गुजरात में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 13 सितंबर से लागू

गांधीनगर : राज्यभर में तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, संग्रह करने और बिक्री पर संपूर्ण प्रतिबंध को 13 सितंबर, 2026 से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात में 2012 से ही गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लागू है।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 'हेमर' की रिसर्च के अनुसार गुटखा और पान मसाला का सेवन कैंसर कारक है, जिससे मुंह के कैंसर का खतरा अत्यंत बढ़ जाता है। इसके अलावा, 'ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे' (जीएटीएस) की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 35 फीसदी वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें से 21 फीसदी लोग बिना धुएं वाली (स्मोकलेस) तंबाकू का उपयोग करते हैं।

यह प्रतिबंध किसी भी नाम से पहचाने जाने वाले तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग बेचे जाने वाले ऐसे घटक, जिनके मिश्रण से अंतिम उत्पाद के रूप में गुटखा या पान मसाला तैयार होता है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार वर्ष 2012 से इस प्रतिबंध को लगातार लागू कर रही है। नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मांग को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध 13 सितंबर, 2026 से 12 सितंबर, 2027 तक एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

भावनगर मंडल से होकर चलने वाली 6 जोड़ी ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किमी/घंटा तक बढ़ाई गई,यात्रियों को मिलेगी तेज, सुगम, सुरक्षित एवं बेहतर रेल यात्रा की सुविधा

यात्रियों को तेज, सुगम एवं बेहतर रेल यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पश्चिम रेलवे द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। पश्चिम रेलवे ने भावनगर मंडल से होकर चलने वाली 6 जोड़ी लोकप्रिय ट्रेनों की अधिकतम अनुमत गति 110 किमी/घंटा से बढ़ाकर 130 किमी/घंटा करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह गति वृद्धि निर्धारित तकनीकी एवं संरक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गति वृद्धि से लाभान्वित होने वाली ट्रेनों में निम्नलिखित ट्रेनें शामिल हैं: 12971-72 बांद्रा–भावनगर एक्सप्रेस, 19255-56 सूरत–महुवा सुपरफास्ट, 19259-60 कोचुवेली–भावनगर एक्सप्रेस, 20909-10 कोचुवेली–पोरबंदर सुपरफास्ट, 19203-04 बांद्रा–वेरावल साप्ताहिक, 22963-64 बांद्रा–भावनगर साप्ताहिक। इन ट्रेनों का संचालन पश्चिम रेलवे के ब्रॉड गेज रेलखंडों पर किया जाता है। स्वीकृति के अनुसार इन ट्रेनों में एक इंजन के साथ 22 एलएचबी कोच का गठन किया जा सकता है तथा इनकी अधिकतम अनुमत गति 130 किमी/घंटा निर्धारित की गई है।

यात्रियों के समय की होगी बचत

ट्रेनों की अधिकतम गति में वृद्धि से लंबी दूरी की रेल यात्रा को और अधिक तेज एवं सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलेगी। इससे परिचालन की गति एवं दक्षता में वृद्धि के साथ यात्रियों के यात्रा समय में भी कमी आने की संभावना है। आधुनिक एलएचबी कोचों के साथ अधिक गति से ट्रेनों का संचालन पश्चिम रेलवे की आधुनिक, सुरक्षित एवं यात्री-केंद्रित रेल सेवाओं को और मजबूत करेगा।

संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

गति बढ़ाने से पूर्व संबंधित रेलखंडों पर ट्रैक, ब्रिज, ओवरहेड उपकरण (OHE), सिग्नलिंग तथा अन्य महत्वपूर्ण रेल परिसंपत्तियों की आवश्यक तकनीकी जांच एवं प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी की गई है। संबंधित मंडलों द्वारा यात्री संरक्षा के संबंध में आवश्यक प्रमाणन भी किया गया है। गति वृद्धि के लिए सभी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संतोषजनक स्थिति में बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही, संबंधित RDSO गति प्रमाणपत्रों एवं संयुक्त संरक्षा प्रमाणपत्रों में निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

गुजरात की 21 ट्रेनों की गति में वृद्धि

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न रेलखंडों पर संचालित गुजरात की 21 सहित कुल 23 लोकप्रिय मेल एवं सुपरफास्ट ट्रेनों की अधिकतम गति 110 किमी/घंटा से बढ़ाकर 130 किमी/घंटा करने की मंजूरी दी गई है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि पश्चिम रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, तेज, आरामदायक एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। रेल अवसंरचना के उन्नयन, संरक्षा मानकों के सुदृढ़ीकरण तथा परिचालन क्षमता में वृद्धि के माध्यम से यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। ट्रेनों की अधिकतम गति में यह वृद्धि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पश्चिम रेलवे की यह पहल 'सुरक्षित यात्रा, तेज यात्रा और बेहतर यात्रा' के संकल्प को और मजबूत करती है तथा यात्रियों को आधुनिक एवं कुशल रेल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

रक्षाबंधन पर बहन ने निभाई रक्षा की परंपरा : अंतिम विदाई पर गुप्त अंगदान कर 4 मरीजों को दिया 'जीवनदान'

अंगदान केवल अंगों का दान नहीं है, बल्कि किसी के निराश जीवन में आशा और खुशियाँ लाने का श्रेष्ठ महादान है : सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी

गांधीनगर : रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल में एक अत्यंत हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायी घटना सामने आई है। ब्रेन हेमरेज के बाद ब्रेनडेड घोषित की गई 41 वर्षीय महिला के परिवार ने दुःख की घड़ी में भी अपार हिम्मत दिखाते हुए गुप्त अंगदान करने का नेक निर्णय लिया। इस महादान से प्राप्त हुए एक हृदय, एक लीवर और दो किडनियों के जरिए चार मरीजों को नवजीवन मिला है, जो उनके परिवारों के लिए आशा की नई किरण बना है।

घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने कहा कि 41 वर्षीय महिला को गंभीर ब्रेन हेमरेज होने के कारण सिविल अस्पताल के आईसीयू में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के गहन उपचार के बावजूद गत 27 अगस्त को उन्हें ब्रेनडेड घोषित किया गया। इसके बाद सिविल अस्पताल की अंगदान टीम के डॉ. निमेश देसाई ने परिवारजनों को अंगदान के महत्व के बारे में समझाया, जिसके बाद शोकग्रस्त परिवार ने सहर्ष सहमति दी।

डॉ. राकेश जोशी ने आगे कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक बहन के अंगदान से चार परिवारों में खुशियों की नई सुबह हुई है। अंगदान केवल अंगों का दान नहीं है, बल्कि किसी के निराश जीवन में आशा और मुस्कुराहट लाने का श्रेष्ठ महादान है।

इस गुप्त अंगदान से प्राप्त हृदय को यू.एन. मेहता अस्पताल में उपचार ले रहे जरूरतमंद मरीज में प्रत्यारोपित किया जाएगा। वहीं एक लीवर और दोनों किडनी आईकेडीआरसी अस्पताल में भर्ती मरीजों में प्रत्यारोपित की जाएँगी।

अहमदाबाद सिविल अस्पताल की इस सफल मुहिम से अब तक कुल 252 अंगदाताओं से 466 किडनी, 226 लीवर, 80 हृदय, 34 फेफड़े, 21 अग्न्याशय, 6 हाथ और 2 छोटी आँत सहित कुल 835 अंग प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा; 200 आँखें तथा 48 त्वचा (स्किन) सहित 248 ऊतकों का भी दान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार; सिविल अस्पताल में अब तक कुल 1,083 अंगों और ऊतकों का दान प्राप्त हो चुका है।

टिशू पर 'बम' लिखे होने से विमान में हड़कंप, अहमदाबाद में एअर इंडिया की इमरजेंसी लैंडिंग; 32 यात्रियों से पूछताछ

अहमदाबाद। दम्मम से दिल्ली जा रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब विमान के टॉयलेट में एक क्रू मेंबर को 'बम' लिखा हुआ टिशू पेपर मिला। संदिग्ध संदेश सामने आने के बाद विमान को तत्काल अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की ओर मोड़ दिया गया। विमान ने करीब 4:21 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने निर्धारित आपात सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को मुख्य यात्री टर्मिनल से दूर एक अलग बे में खड़ा कराया और उसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी। विमान में कुल 32 यात्री सवार थे। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया और उन्हें टर्मिनल-2 में ले जाया गया। यात्रियों को सुरक्षा निगरानी में रखा गया, जबकि विमान के आसपास सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों और आपातकालीन टीमों को सक्रिय कर दिया गया। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में कुछ समय के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।

पुलिस के अनुसार, संदिग्ध संदेश मिलने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वॉड, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट पुलिस की टीमों ने विमान की गहन तलाशी शुरू की। जांच में विमान के केबिन, कार्गो होल्ड और फ्यूजलेज समेत विभिन्न हिस्सों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि विमान में किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री तो मौजूद नहीं है।

अधिकारियों के मुताबिक, टॉयलेट में नियमित जांच के दौरान क्रू मेंबर को कागज की एक पर्ची मिली, जिस पर 'बम' शब्द लिखा था। क्रू मेंबर ने बिना किसी देरी के इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। विमान में किसी भी संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया और विमान को निकटतम उपयुक्त एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया। अधिकारियों का कहना है कि विमान को अहमदाबाद लाने का फैसला एहतियाती सुरक्षा उपायों के तहत लिया गया।

घटना के बाद जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि टॉयलेट में पर्ची किसने छोड़ी। सुरक्षा अधिकारियों ने विमान में सवार सभी 32 यात्रियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्ची मिलने से कुछ समय पहले टॉयलेट का इस्तेमाल किस-किस यात्री ने किया था। यात्रियों की यात्रा संबंधी जानकारी और विमान के भीतर उनकी गतिविधियों से जुड़े विवरणों की भी जांच की जा रही है।

जांच अधिकारियों द्वारा यात्रियों के हस्तलेखन और हस्ताक्षर के नमूने लिए जाने की भी जानकारी सामने आई है। इसका उद्देश्य संदिग्ध पर्ची पर लिखी इबारत की तुलना यात्रियों के लिखावट के नमूनों से करना है। हालांकि, किसी यात्री को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले जांच एजेंसियों को पर्याप्त साक्ष्य जुटाने होंगे। फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है और अधिकारी सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं।

मिान को फिलहाल आइसोलेशन बे में रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां स्निफर डॉग और फोरेंसिक टीमों की मदद से विमान की जांच कर रही हैं। विमान को तब तक सामान्य संचालन में वापस नहीं लाया जाएगा, जब तक सुरक्षा जांच पूरी नहीं हो जाती और संबंधित एजेंसियों की ओर से आवश्यक मंजूरी नहीं मिल जाती। विमान की पूरी तरह से जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संदिग्ध संदेश केवल शरारत या झूठी धमकी थी या उसके पीछे कोई वास्तविक खतरा मौजूद था।

एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की घटनाओं में किसी भी धमकी को प्रारंभिक स्तर पर वास्तविक मानकर ही सुरक्षा प्रक्रिया लागू की जाती है। संदिग्ध संदेश छोटा हो या बड़ा, विमान में सुरक्षा से जुड़ा कोई भी संकेत नजर आने पर निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। यही वजह है कि टिशू पेपर पर केवल 'बम' शब्द मिलने के बाद भी विमान को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया और यात्रियों को सुरक्षित उतारकर विमान की जांच शुरू की गई।

विमान के अहमदाबाद पहुंचने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे मुख्य यात्री टर्मिनल से दूर अलग बे में भेज दिया। इसका उद्देश्य संभावित जोखिम को यात्री टर्मिनल और अन्य विमानों से दूर रखना था। इसके बाद सुरक्षा और आपातकालीन टीमों ने विमान को अपने नियंत्रण में लेकर जांच शुरू की। यात्रियों को भी विमान से अलग सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस घटना के बाद यात्रियों के बीच भी चिंता का माहौल बना। हालांकि, विमान की लैंडिंग सुरक्षित रही और सभी यात्रियों को बिना किसी घटना के उतार लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों को टर्मिनल भवन के भीतर निगरानी में रखा।